13.5.25

वकील जालिम सिंह) वादी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
निषेधाज्ञा हुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया
गया। वादी ने यह प्रार्थना-पत्र इस आधार पर पेश
किया है कि ग्राम नं० 701 स्थित 1 बीघा 4 बिस्वा
वाद कारा कथेली वादी के अन्दर खातेदारी इन्तकाल
मौजूद है। गैरमाफ कुछ समय से इस जमीन को प्रदायमान
करने की धमकी दे रहे हैं। गैरमाफ प्रदायमान करने से
कामयाब हो तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस लिए
मैं वादी गैरमाफान के अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद
किया जाया जावे। वादी वादी व गैरमाफान जमीन
हाल मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखे हेतु
अन्तरिम आज्ञा की प्रार्थना की। नियत आदेशिका पर दोनों
पक्ष अपने अधिवक्ता लिये। वहां वादी व गैरमाफान
वकील की बहस के आधार पर ग्राम नं० 701 स्थित
1 बीघा 4 बिस्वा वाद कारा कथेली पर गैरमाफान
के तरफ से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा न पाबंद किया
जाता है कि वह आपसी खातेदारी जमीन 1 बीघा 4 बिस्वा
के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखें।
पत्रावली फैसल कुनाक होकर वादी के वाद हेतुक
समाप्त हो। पत्रावली मूल दावे के साथ संलग्न की जावे।

मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:25:20 IST
Reason: SelfAttested